तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/7600/2006/बीकानेर बजरंग लाल बनाम मोहन दास	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री जे.के. पन्त, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री अशोक नाथ, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 01.04.2019

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–10–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थीगण वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी में प्रारम्भिक आपत्ति को स्पष्ट करवाये जाने को खारिज किया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि प्रार्थीगण ने विवादित आराजी बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर वाद को सव्यय खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी, जिस पर वादी प्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी ने अपने प्रार्थनापत्र में ऐसा कोई तथ्य या कानूनी बिन्दू अंकित नहीं किया जिससे वाद चलने योग्य नहीं होने से कानूनी बिन्दू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/7600/2006/बीकानेर बजरंग लाल बनाम मोहन दास	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का स्पष्टीकरण करवाने का प्रतिवादीगण को निर्देश देना चाहिए ताकि उस बिन्दू पर कानूनी बहस हो सकें, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य की अनदेखी करते हुए प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 5 जाप्ता दीवानी को स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 5 के अन्तर्गत अतिरिक्त, ओर अधिक अच्छा कथन या विशिष्ठ संशोधन अधिनियम, 1999 द्वारा विलोपित किया जा चुका है। विचारण न्यायालय द्वारा इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण ने विवादित आराजी बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर वाद को सव्यय खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी। तत्पश्चात् वीदगण प्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी ने अपने प्रार्थनापत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/7600/2006/बीकानेर बजरंग लाल बनाम मोहन दास	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अन्तर्गत धारा 151जाप्ता दीवानी में ऐसा कोई तथ्य या कानूनी बिन्दू अंकित नहीं किया जिससे वाद चलने योग्य नहीं हो। अतः वादीगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर प्रतिवादीगण को कानूनी बिन्दू का स्पष्टीकरण करवाने का निर्देश प्रदान किया जावे ताकि उक्त कानूनी बिन्दू पर बहस की जा सके। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनकर निगराधीन निर्णय से यह मानते हुए कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 5 के अन्तर्गत अतिरिक्त ओर अधिक अच्छा कथन या विशिष्टयां संशोधन अधिनियम, 1999 द्वारा विलोपित किया जा चुका है तथा ऐसा प्रार्थनापत्र दावे को लम्बे समय तक चलाने का बढावा देते है, प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए सकारण वादीगण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को विधिसम्मत् निर्णय से खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	